तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/6/18	पत्रावली में आज कोई पक्षकार उपस्थित नहीं। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादपत्र प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र पढ़कर सुना गया। प्रथम दृष्टया वाद सुनवाई का सुनवाई एवं अग्रिम होने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रथम प्रार्थी को नोटिस जारी किया जाता है तथा दिनांक 9/5/14 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को तो के सलग दाखिल इस हद तक स्थायी करते हुए तय किया जाता है कि विवादित भूमि के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति मुसारी के हिस्से तक यथास्थिति बनाए रखे। ~~पत्रावली~~ अस्थायी निषेधाज्ञा को तो के सलग दाखिल स्थायी (confirm) किया जाता है पत्रावली के साथ मुख्य दीवानी मिसल का भाग ही मुकाम।	

SDO